



जनपद गाजियाबाद प्रेस नोट दिनांक 03.08.2021

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से कुल 2 किलो 100ग्राम नाजायज गांजा बरामद।

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद व आस-पास के जनपदों के अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री अमित पाठक महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री नागेन्द्र चौबे की टीम द्वारा चैकिंग के दौरान जीजी फार्म हाउस के पास से एक अभियुक्त बल्लू पुत्र नत्थू नि० डी- 412 शहीदनगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीव 26 वर्ष को 02 किलो 100ग्राम नाजायज गांजे के साथ दिनांक 02.08.21 को समय करीव 20.10 बजे जीजी फार्म हाउस शालीमार गार्डन से गिरफ्तार किया गया है।



अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह अवैध गांजे की तस्करी अन्य स्थानों से करके दिल्ली गाजियाबाद में आस पास के नशे के आदि लोगों को बेच कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. बल्लू पुत्र नत्थू नि० डी- 412 शहीदनगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीव 26 वर्ष।

पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-

1. मु०अ०स० 1602/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र०नि० नागेन्द्र चौबे
2. उ०नि० मुन्नेश सिंह
3. का० मनीष कुमार
4. का० अरुण कुमार

बरामदगी का विवरण:-

1. 02 किलो 100ग्राम गांजा नाजायज बरामद।

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा, लूट की योजना बनाते तीन अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक अदद तमन्वा मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर, व एक अदद

नाजायज चाकू व घटना में प्रयुक्त कार डिजायर नं० यूपी 14सीएफ 4580 बरामद।

दिनांक: 03.08.2021

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद व आस-पास के जनपदों के अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री अमित पाठक महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नैतृत्व में



प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री नागेन्द्र चौबे की टीम द्वारा चैकिंग गस्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर शालीमार गार्डन में 150 फुटा रोड शौचालय के पास से लूट की योजना बनाते तीन अभियुक्तों 01- योगेश पुत्र राजवीर नि० चरनसिंह कालोनी थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र करीव 22वर्ष, 02- हरिओम पुत्र गुलाब सिंह नि० चरनसिंह कालोनी थाना विजयनगर गाजियाबाद मूल पता ग्राम भीमनगर थाना हापुड कोतवाली देहता हापुड उम्र करीव 20 वर्ष, 3- रवि कुमार पुत्र दरियाव सिंह नि० कृष्णा नगर बागू थाना विजयनगर गाजियाबाद मूल पता ग्राम पिसावा थाना पिसावा जिला अलीगढ़ उम्र करीव 29 वर्ष को एक अदद नाजायज तमन्वा देशी मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद नाजायज चाकू व घटना में प्रयुक्त कार डिजायर नं० यूपी 14 सीएफ 4580 के साथ दिनांक 03.08.21 को शालीमार गार्डन में 150 फुटा रोड शौचालय के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह रात्रि में अपनी गाडी में किसी सवारी को बैठाकर या सूनसान जगह पर पर किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे कि पकड़े गये को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

2. योगेश पुत्र राजवीर नि० चरनसिंह कालोनी थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र करीव 22वर्ष।
3. हरिओम पुत्र गुलाब सिंह नि० चरनसिंह कालोनी थाना विजयनगर गाजियाबाद मूल पता ग्राम भीमनगर थाना हापुड कोतवाली देहता हापुड उम्र करीव 20 वर्ष।
4. रवि कुमार पुत्र दरियाव सिंह नि० कृष्णा नगर बागू थाना विजयनगर गाजियाबाद मूल पता ग्राम पिसावा थाना पिसावा जिला अलीगढ़ उम्र करीव 29 वर्ष।

पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-

2. मु०अ०स० 1604/2021 धारा 398,401 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद बनाम योगेश आदि 03 नफर।
3. मु०अ०सं० 1605/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद बनाम योगेश।
4. मु०अ०सं० 1606/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद बनाम हरिओम।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

5. प्र०नि० नागेन्द्र चौबे
6. उ०नि० मुन्नेश सिंह
7. उ०नि० विवेक चन्द

8. हे0का0 राजेश कुमार
9. का0 पारूल पवार
10. का0 शान्तवीर सिंह
11. का0 सुमित कुमार

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद तमन्वा देशी मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर।
2. एक अदद नाजाजय चाकू।
3. घटना में प्रयुक्त एक कार डिजायर नं0 यूपी 14 सीएफ 4580 (207 मे सीज)

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा गैगस्टर एक्ट मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक: 03.08.2021

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद व आस-पास के जनपदों के अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री अमित पाठक महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नैतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री नागेन्द्र चौबे की टीम द्वारा चैकिंग के दौरान शुलभ शौचालय भोपुरा के पास से अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र कामेश निवासी सी-92, गली नं0 2, प्रताप नगर, सबोली, थाना हर्ष विहार दिल्ली उम्र करीब 25 वर्ष को समय करीब 11.00 बजे गिरफ्तार किया गया है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

मनोज कुमार पुत्र कामेश निवासी सी-92, गली नं0 2, प्रताप नगर, सबोली, थाना हर्ष विहार दिल्ली

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 66/2021 धारा 411/414/398/401 भा0द0वि0, थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0 985/2020 धारा 392 भा0द0वि0, थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
3. मु0अ0सं0 1414/2020 धारा 392 भा0द0वि0, थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
4. मु0अ0सं0 10/2021 धारा 392/411 भा0द0वि0, थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
5. मु0अ0सं0 1384/2020 धारा 392/411 भा0द0वि0, थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 नागेन्द्र चौबे
2. उ0नि0 मोहित कुमार
3. उ0नि0 रामगोपाल सिंह
4. का0 अमित कुमार
5. का0 मंजीत कुमार
6. का0 सुनील कुमार



थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, जिसके कब्जे से कुल 450

अदद नशीली अल्प्राजोलम गोलिया नाजायज बरामद

दिनांक 03-07-2021

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय श्री अमित पाठक के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री निपुण अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री महिपाल सिंह महोदय के कुशल नैतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री अमित कुमार की टीम दिनांक: 03/08/2021 घटनास्थल- अम्बेडकर रोड की तरफ सार्वजनिक टायलेट थाना कोतवाली नगर से दौराने

चैकिंग 01 नफर अभियुक्त अभिषेक पुत्र ब्रजमोहन को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से कुल 450 अदद नशीली अलप्राजोलम की गोलियाँ नाजायज बरामद हुआ, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद पर मु0अ0सं0-0759/2021 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

अभियुक्त अभिषेक पुत्र ब्रजमोहन नि0-मिशलगढी ईदगाह के पास थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त

1-मु0अ0सं0-0759/2021 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद

2. मु0अ0सं0 0485/2020 धारा 60आबकारी एक्ट थाना मसूरी गाजियाबाद ।

3. मु0अ0सं0 403/17 धारा 323/325/307/504 थाना मसूरी गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण:-

1. अदद नशीली अलप्राजोलम गोलिया नाजायज 450

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 श्री अमित कुमार थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।
2. उ0नि0 सचिन कुमार तोमर थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।
3. उ0नि0 नरेन्द्र कुमार प्रभारी सर्विलांस टीम गाजियाबाद ।
4. है0का0-आसिफ 1372 थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।
5. है0का0-मोनू कुमार 1277 थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।
6. क0-विवेक 3194 थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।



विगत 10 वर्षों से सामूहिक दुष्कर्म का मफरूर/पुरुष्कार घोषित 25 हजार रुपये का ईनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 03-08-2021

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में मफरूर/पुरुष्कार घोषित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय श्री अमित पाठक के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री निपुण अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री महिपाल सिंह महोदय व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में गठित टीम द्वारा विगत 10 वर्षों से मफरूर/पुरुष्कार घोषित सामूहिक दुष्कर्म का 25 हजार रुपये का ईनामिया आरोपी मुर्शीद उर्फ रिहान पुत्र सफीर निवासी पारस मनी थाना सरसी जिला पूर्णिया बिहार को पूर्णिया बिहार से गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त सम्बन्ध में थाना इन्दिरापुरम पर मु0अ0सं0-1612/2012 धारा 363/366/376/120बी/506 भादवि पंजीकृत है। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।



अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:-

पकड़े गये अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वर्ष 2012 में थाना खोडा कालोनी इन्दिरापुरम में किराये के मकान में रहकर मकानों में रंग-रोगन एवं पॉलिस का कार्य करता था, इसी कार्य के दौरान काम कराने वाली एक व्यक्ति की नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर अपने साथी सह अभियुक्त अख्तर के साथ मिलकर अपहरण कर बिहार ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म के बाद छोड़कर भाग गये थे, तथा मेरा साथी सह अभियुक्त अख्तर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था तभी से मे महाराष्ट्र /हैदराबाद/बिहार आदि जगह पर अपनी पहचान छिपाकर एवं अपना मोबाइल नम्बर बंद करके छद्म भेष धारण करके रह रहा था अभियुक्त ने बताया कि बिहार से भी जेल जा चुका है।

नाम पता गिरफ्तार मफरूर/पुरुष्कार घोषित अभियुक्त-

1- मुर्शीद उर्फ रिहान पुत्र सफीर निवासी पारस मनी थाना सरसी जिला पूर्णिया बिहार उम्र करीब 30 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

- 1- मु0अ0सं0- 1612/2012 धारा 363/366/376/120बी/506 भादवि थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद
- 2- मु0अ0सं0-185/2014 धारा 341/323/379/386/307/504/506/34 भादवि थाना सरसी जिला पूर्णिया बिहार (उक्त अभियोग में अभियुक्त मुर्शीद के स्थान पर तथा कथित नरशेद नाम बताकर जेल गया था)

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0 नि0 श्री अमित कुमार थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
2. श्री ईमामजैदी थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
3. उ0नि0 श्री नरेन्द्र सिंह सर्विलांस प्रभारी टीम श्रीमान एसपी सिटी महोदय
4. है 0का0 599 मानवेन्द्र सिंह थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
5. का0 2868 अनुज धामा सर्विलांस टीम श्रीमान एसपी सिटी महोदय
6. का0 3076 अखलेश सर्विलांस टीम श्रीमान एसपी सिटी महोदय

थाना विजयनगर , बापूधाम क्षेत्र के घरों में चोरी करने वाले 03 नफर अभि0गण को चोरी की मो0सा0 ज्वैलरी आदि सहित मय 02 अदद फर्जी नम्बर व 240 ग्राम एल्पाजोलम पाउडर व 01 नाजायज चाकू के किया गिरफ्तार

श्रीमान उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण में कार्यवाहक थाना प्रभारी सिहानी गेट उ0नि0 आरिफ खान के कुशल नेतृत्व में चैकिंग के दौरान थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा दिनांक 02/08//021 थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा अभि0गण 1.भरत लुम्बा उर्फ लक्की पुत्र रजनीश लुम्बा निवासी ई-646 बी नन्दग्राम थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद 2.विशाल उर्फ टोला पुत्र सतपाल निवासी म0नं0 288 गली नं0 03 दीनदयालपुरी थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद 3.अश्वनी पुत्र अशोक कुमार निवासी म0नं0 एफ 561 नन्दग्राम थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद को थाना विजयनगर के मु0अ0सं0 244/21 धारा 379 भादवि में चोरी 01 अदद मो0सा0 अपाचे रजि0 न0 UP14 DK 4376 व थाना मधूबन बापूधाम के मु0अ0सं0 436/21 धारा 380 भादवि में चोरी गये 01 जोड़ी टाप्स, 01 जोड़ी झुमकी, 01 अदद झुमका, 01 जोड़ी कानों की बाली, 02 अदद लाकेट, 01 अदद मंगलसूत्र सभी पीली धातु, 04 अदद चाँदी के सिक्के, 01 जोड़ी चाँदी की पायल, 01 अदद चाँदी की चेन, 01 अदद कलाई घड़ी, 01 अदद लैपटॉप कम्पनी एचपी व थाना मधूबन बापूधाम के मु0अ0सं0 437/21 धारा 380 भादवि में चोरी गये 01 अदद क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी, 01 अदद कलाई घड़ी, 02 अदद नम्बर प्लेट UP 14 CY 5740 01 अदद नाजायज़ चाकू, 06 अदद मोबाईल संदिग्ध चोरी, 02 अदद फर्जी नम्बर प्लेट UP 14 EB 815 व .240 ग्राम एल्प्राजोलम पाउडर व. 01 अदद स्कूटी जुपिटर रजि0 न0 UP 14 EB 8157 अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सहित राकेश मार्ग शनि मन्दिर के पास से समय करीब 03.48 बजे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की ।

अपराध कारित करने का तरीका:-

दिनांक 02/08//021 को चैकिंग अभियान के दौरान चौकी क्षेत्र दयानन्दनगर में राकेश मार्ग से नेहा डेरी की ओर जाने वाले रास्ते के कट पर आने जाने वाले संदिग्ध व्यक्ति व वाहनों की चैकिंग में 01 मोटरसाईकिल पर 02 व्यक्ति तथा एक स्कूटी पर 01 व्यक्ति सवार होकर राकेश मार्ग की ओर से आते दिखाई दिये पुलिस टीम द्वारा टार्च की रोशनी व हाथ के इशारे से इनको रूकने का इशारा किया गया लेकिन मोटरसाईकिल व स्कूटी सवार व्यक्ति पुलिस को देखकर अपने अपने वाहन पीछे मोड़कर भागने का प्रयास करने लगे इस पर पुलिस वालों ने घेर घोटकर आवश्यक बल प्रयोग करके मोटरसाईकिल पर सवार 02 व्यक्तियों तथा स्कूटी पर सवार 01 व्यक्ति को शनि मंदिर के पास समय करीब 03.48 बजे पकड़ लिया । पकड़े गये व्यक्तियों से नाम व पता पूछा तो मोटरसाईकिल अपाचे के चालक ने अपना नाम भरत लुम्बा उर्फ लक्की पुत्र रजनीश लुम्बा निवासी ई-646 बी नन्दग्राम थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष बताया । मोटरसाईकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम विशाल उर्फ टोला पुत्र सतपाल निवासी म0नं0 288 गली नं0 03 दीनदयालपुरी थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष बताया । स्कूटी जुपिटर सवार व्यक्ति से नाम व पता पूछा तो इसने अपना नाम अश्वनी पुत्र अशोक कुमार निवासी म0नं0 एफ 561 नन्दग्राम थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष बताया । भागने का कारण पूछा तो अपाचे सवार दोनों व्यक्तियों ने सकपकाकर माफी मांगते हुए एक स्वर में बताया कि साहब हम दोनों के पास नशीला अल्प्राजोलम पाउडर, चोरी का सामान व लूटव चोरी के मोबाईल हैं । हम दोनों घरों में चोरी करने के साथ साथ नशीले पाउडर की छोटी छोटी पुडिया बनाकर नशेडियों को बेंच देते हैं । जामा तलाशी में अभि0 भरत लुम्बा उर्फ लक्की की जामा तलाशी ली तो पीठ पर लदे नीले रंग के स्कूली बैग से 120 ग्राम अल्प्राजोलम नशीला पाउडर एक अदद लेपटॉप मार्का एचपी रंग काला, एक अदद कलाई घड़ी कम्पनी SKMEI रंग काला, एक प्लास्टिक की डिब्बी में 01 जोड़ी कानों की बाली पीली धातु कुल वजन 0.68 ग्राम, 02 अदद लाकेट पीली धातु कुल वजन 3.34 ग्राम, एक लाल रंग की प्लास्टिक की डिब्बी में 02 अदद कानों के टाप्स पीली धातु कुल वजन 4.31 ग्राम, 01 अदद झुमका पीली धातु कुल वजन 5.59 ग्राम, 01 अदद मंगल सूत्र पीली धातु मय काले मोती कुल वजन 8.52 ग्राम, 01 अदद गले की चेन सफेद धातु कुल वजन 16 ग्राम, 02 अदद सिक्के सफेद धातु प्रत्येक पर 10 ग्राम व अंग्रेजी में FINE SILVER लिखा है तथा 02 अदद नम्बर प्लेट जिन पर UP 14 CY 5740 लिखा है, बरामद हुए तथा पहनी जींस की दाहिनी जेब से 01 अदद मोबाईल मोटो रंग चमकीला, दूसरा मोबाईल वीवो रंग गहरा हरा

तथा बांयी जेब से 01 अदद मोबाईल लावा रंग गोल्डन दूसरा मोबाईल रेडमी 5ए रंग सिल्वर व अभि0 विशाल की जामा तलाशी मे 120 ग्राम अल्प्राजोलम नशीला पाउडर एक अदद क्रेडिट कार्ड नं0 36835701733849 एचडीएफसी बैंक जिस पर अंग्रेजी में SANTOSH JHA लिखा है, 01 अदद कलाई घडी मार्का ESPRIT, एक पीले रंग की प्लास्टिक की डिब्बी में 02 अदद झुमकी पीली धातु कुल वजन 4.77 ग्राम, 02 अदद सिक्के सफेद धातु प्रत्येक पर 50 ग्राम व अंग्रेजी में FINE SILVER लिखा है व 02 अदद पायल सफेद धातु कुल वजन 60 ग्राम बरामद हुआ तथा पहने लोअर की दाहिनी जेब से 01 अदद मोबाईल सैमसंग रंग नीला हरा, दूसरा मोबाईल ओप्पो रंग नीला काला बरामद हुआ अभि0 अश्वनी की जामा तलाशी ली तो पहने लोअर के बायें सुइडे में उरसा हुआ एक अदद चाकू नाजायज बरामद हुआ । मोटरसाईकिल अपाचे रंग सफेद व जुपिटर रंग काला की नम्बर प्लेटों को चैक किया तो चारों नम्बर प्लेटो पर UP 14 EB 8157 लिखा है । अपाचे पर चैसिस नं0 MD634CE6XH2K63864 व इंजन नं0 CE6HK2063099 तथा जुपिटर पर चैसिस नं0 MD626EG42K3D40146 व इंजन नं0 EG4DK3106027 लिखा है । अपाचे के चैसिस नं0 को ई चालान एप द्वारा चैक किया गया तो अपाचे का सही रजि0 नं0 UP 14 DK 4376 है । इस संबध में द्वारा जिपनैट चैक किया तो अपाचे की चोरी के संबध में थाना विजयनगर पर मु0अ0सं0 244/21 धारा 379 भादवि पंजीकृत है । इस संबध में अपाचे पर बैठे भरत व विशाल को विश्वास में लेकर पूछताछ की गयी तो दोनों ने एक स्वर में बताया कि यह अपाचे हम दोनों ने मिलकर करीब 05 माह पहले विजयनगर से चोरी की थी । जिसकी असली नं0 प्लेटे नाले में फेंककर हमने फर्जी नं0 प्लेटे पकडे जाने के डर से लगा ली है । हमसे बरामद अन्य मोबाईल भी हमने मिलकर अलग अलग जगह से चोरी व लूटे थे जिसका हमें याद नहीं आ रहा है । दोनों से बरामद अन्य आभूषण व सामान के संबध में जानकारी की गयी तो दोनों ने बताया कि हम दोनो मिलकर घरों में चोरी करते हैं । हम दोनों ने मिलकर हम दोनों से बरामद टाप्स, झुमकी, झुमका, कानों की बाली, लाकेट, मंगलसूत्र चाँदी के सिक्के, चाँदी की पायल, चाँदी की चेन, कलाई घडी, लैपटाँप करीब 15 दिन पहले जी ब्लाक संजयनगर सै0 23 से तथा क्रेडिट कार्ड, कलाई घडी व नम्बर प्लेटें करीब 10 दिन पहले स्वर्ण जंयतीपुरम से चोरी की थीं तथा दोनो चोरी में मिले रुपये हमने मौज मस्ती में खर्च कर दिये । जुपिटर UP 14 EB 8157 को मौके पर ही अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया । अभि0गण को उनके जुर्म से अवगत कराते हुए नियमानुसार हिरासत पुलिस लिया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. भरत लुम्बा उर्फ लक्की पुत्र रजनीश लुम्बा निवासी ई-646 बी नन्दग्राम थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद
2. विशाल उर्फ टोला पुत्र सतपाल निवासी म0नं0 288 गली नं0 03 दीनदयालपुरी थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद

3. अश्वनी पुत्र अशोक कुमार निवासी म0नं0 एफ 561 नन्दग्राम थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण:-

1. मु0अ0सं0- 1015/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम अश्वनी थाना सिहानीगेट
2. मु0अ0सं0 1016/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम विशाल उर्फ टोला थाना सिहानीगेट
3. मु0अ0सं0-1017/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट भरत लुम्बा उर्फ लक्की थाना सिहानीगेट
4. मु0अ0सं0 1018/21 धारा 411/414/482 भादवि0 बनाम विशाल उर्फ टोला व भरत लुम्बा उर्फ लक्की थाना सिहानीगेट
5. मु0अ0सं0 244/21 धारा 379/411 भादवि बनाम भरत लुम्बा उर्फ लक्की व विशाल उर्फ टोला थाना विजयनगर
6. मु0अ0सं0 436/21 धारा 380/411 भादवि बनाम विशाल उर्फ टोला व भरत लुम्बा उर्फ लक्की थाना मधूबन बापूधाम
7. मु0अ0सं0 437/21 धारा 380/411 भादवि बनाम विशाल उर्फ टोला व भरत लुम्बा उर्फ लक्की थाना मधूबन बापूधाम
8. मु0अ0सं0 746/20 धारा 307 भादवि बनाम भरत लुम्बा उर्फ लक्की थाना सिहानीगेट
9. मु0अ0सं0 2056/18 धारा 147,148,323,354,354 बी भादवि बनाम विशाल उर्फ टोला थाना सिहानीगेट

10. मु0अ0सं0 3715/18 धारा 392/411 भादवि बनाम विशाल उर्फ टोला थाना साहिबाबाद
11. मु0अ0सं0 1270/16 धारा 457,380,411 भादवि बनाम अश्वनी थाना कविनगर
12. मु0अ0सं0 1361/18 धारा 60/63 EX. ACT बनाम अश्वनी थाना सिहानीगेट
13. मु0अ0सं0 896/16 धारा 380/411 भादवि बनाम अश्वनी थाना कविनगर
14. मु0अ0सं0 1221/16 धारा 457,380,411 भादवि बनाम अश्वनी थाना कविनगर
15. मु0अ0सं0 849/16 धारा 457,380,411 भादवि बनाम अश्वनी थाना कविनगर
17. मु0अ0सं0 386/20 धारा 379/411 भादवि बनाम अश्वनी थाना वसन्तकुंज दिल्ली
18. मु0अ0सं0 380/20 धारा 457,380,411 भादवि बनाम अश्वनी हौजखास दिल्ली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 गौरव कुमार सिंह थाना सिहानीगेट गा0बाद
2. उ0नि0 श्री विजय कुमार थाना सिहानीगेट गा0बाद
3. है0का0 1419 धर्मन्द्र गौतम थाना सिहानीगेट गा0बाद
4. का0 2021 गौरव थाना सिहानीगेट गा0बाद
5. का0 582 चन्दन सिंह थाना सिहानीगेट गा0बाद
6. का0 1943 यशवन्त सिंह थाना सिहानीगेट गा0बाद
7. का0 3845 पुष्पेन्द्र कुमार थाना सिहानीगेट गा0बाद

बरामदगी

- 1.01 अदद मोटरसाईकिल अपाचे रजि0 न0 UP14 DK 4376 सम्बन्धित मु0अ0सं0 244/21 धारा 379 भादवि थाना विजयनगर
- 2.01 अदद स्कूटी जुपिटर रजि0 न0 UP14 EB 8157 अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट
3. 01 जोडी टाप्स, 01 जोडी झुमकी, 01 अदद झुमका, 01 जोडी कानों की बाली, 02 अदद लाकेट, 01 अदद मंगलसूत्र सभी पीली धातु, 04 अदद चाँदी के सिक्के, 01 जोडी चाँदी की पायल, 01 अदद चाँदी की चेन, 01 अदद कलाई घडी, 01 अदद लैपटॉप कम्पनी एचपी सम्बन्धित मु0अ0सं0 436/21 धारा 380 भादवि थाना मधूबन बापूधाम
4. 01 अदद क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी, 01 अदद कलाई घडी, 02 अदद नम्बर प्लेट UP 14 CY 5740 सम्बन्धित मु0अ0सं0 437/21 धारा 380 भादवि थाना मधूबन बापूधाम
5. 01 अदद नाजायज़ चाकू, 06 अदद मोबाईल सँदिग्ध चोरी, 02 अदद फर्जी नम्बर प्लेटे UP14 EB 8157
6. 240 ग्राम एल्प्राजोलम पाउडर

